

jftLV^h laö Mhö ,yö&33004@99
33004/99

REGD. NO. D. L.-

vlk/kj.k
EXTRAORDINARY
Hkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
izkf/dkj ls izdkf'kr
PUBLISHED BY AUTHORITY

la- 284] ubZ fnYyh] c'gLifrokj] vçSy 13] 2017@pS=k
23] 1939 No. 284] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2017/CHAITRA 23,
1939

शहरी विकास मंालय

अधसूचना

नई ढद, ली, 11 अैल, 2017

सा.का.िन. 353(अ).—के३ ँीय सरकार, मेढो रेल (ेचालन और अनुरैण) अधिनयम, 2002 (2002 का 60) क\$ धारा 53 क\$ उप-धारा (3) और धारा 57 के साथ पढठत, धारा 56 क\$ उपधारा (2) के खंड (iii) और धारा 100 क\$ उपधारा (2) के खंड (घ) ँढा ँदत शि तय का ँयोग करते ञए, और

(i) ढद, ली मेढो रेल (दुघढटना के कारण मृं यु और घायल होने के मामले मः दावा आयु त ँढा अपनाई जाने वाली ँढया और ँितपूतढ क\$ रािश) ँनयम, 2007

(ii) बंगलौर मेढो रेल (दाव हेतु ँढया) ँनयम, 2001 और

(iii) चे३ नई मेढो रेल (दाव क\$ ँढया) ँनयम, 2014 के अधढमण मः, उन बात के ँसवाय

अधढांत करते ञए, ँज३ हः

ऐसे अधढमण से पूवढ ढकया गया है या करने का

लोप ढकया गया है, ँन निलिखत ँनयम बनाती है अथाढत :- 1.

संैत नाम और ँारंभ (1)

इन ँनयम का संैत नाम मेढो रेल (दाव क\$ ँढया) ँनयम, 2017 है।

(2) ये राजपू मः ँकाशन क\$ तारीख को ँवृं त हगे ।

2.

पढरभाषाएं-(1) इन ँनयम मः, जब तक संदढढ से अ३ यथा अपेित न हो,

(क) “अधिनयम” से मेढो रेल (ेचालन और अनुरैण) अधिनयम, 2002 (2002 का 60) अभैत है ;

(ख) “दावा आयु त” से अधिनयम क\$ धारा 48 के अधीन ँनयु त दावा आयु त अभैत है ;

(ग) “आवेदक” से अधिनयम क\$ धारा 58 के अधीन दावा आयु त को आवेदन करने वाला कोई ३

(1)

(घ) “ऌाऽप” से इन िनयमों से संलं न ऌाऽप अभंेत है ;

(ड़) “विध ३ यवसायी” का वही अर्थ होगा जो अधिवा ता अधिनयम, 1961 (1961 का 25) कऽ धारा 2 के

खंड (i) मऽ उसका है ;

(च) “विविधकृतितिनध” से ऐसा ३ यि त अभिनेत है जो विविध कट्टिट मः मृतक ३ यि त कट्टि संपदा का

०तिनिधि० व करता है :

(छ) “अनुसूची” से इन िनयम से संल न अनुसूची अभेत है ;

(ज) “धारा” से अधिनियम कऽ कोई धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में संयुक्त हैं, पर प्रवर्णित नहीं है, लेकिन इस अधिनियम में:

पङ्कटभूषित ह., वही अथः है जो मशः उस अधिनयम मः है।

3. आवेदन फाइल करने क\$ ँरलया – (1) मेरु रेल के कामकाज के दौरान घटत ऐसी दुघटना क\$ बाबत ँरितकर के

संदाय के लिए, जिसमं ४कसी ३ पि त क मृ यु या शारीरक ित अथवा ४कसी संपि त को

कोई नुकसान अंतर्भूत है,

दावा आयु ३० त को आवेदन, या तो आवेदक द्वारा ३० दिनों तक या उसके स. यक ३० से

०३। अधिकृत विविधक

ॐ तिनिधय ॥ नारा ॐ थम अनुसूची मः षट्प ग ॐ षप मः ॐ त त षकया जाएगा ;

परंतु दावा आयु□ त को कोई आवेदन रिजं□ीकृत डाक □□□ारा भी भेजा जा सकेगा।

(2) उपिनयम (1) के अधीन निम्नलिखित आवेदन दो-तृतीय मंथन द्वारा तृप्त किया जाएगा।

(3) एक आवेदन अर्द्ध छी गुणवत्ता वाले कागज के एक ओर दोहरे अंतराल मध्य पृष्ठ से टंकित होगा।

4. आवेदन कऽ संवीक्षा – (1) दावा आयुक्त त एक आवेदन पर ऐसी तारीख का पृष्ठ ठांकन करेगा, जिसको नियम 3 के

अधीन यह एक तुल्य या एकान्त ठक्या जाता है और पृष्ठ ठांकन पर हस्तक्षेप करेगा।

(2) संवीक्षा करने पर यह आवेदन उचित पाया जाता है तो उसे रिजल्ट प्रीकृत ठक्या जाएगा और प्रम संक्षेप यांक ठदया जाएगा।

(3) संवीक्षा करने पर यह आवेदन मध्य कोई दोष पाया जाता है और अवलोकित दोष औपचारिक प्रकृति का है तो

दावा आयुक्त, आवेदक को, अपनी उपस्थिति मध्य उसका सुधार करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और यह दोष औपचारिक प्रकृति का नहल है तो दावा आयुक्त को दोष का सुधार करने के लिए ऐसा समय अनुज्ञात कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(4) यह आवेदक उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर दोष सुधारने मध्य असफल रहता है तो दावा

आयुक्त, आदेश द्वारा और लेखबद्ध ठकए जाने वाले कारण से आवेदन को रिजल्ट कर करने से इंकार कर सकेगा और तदनुसार आवेदक को अधिसूचित कर सकेगा।

(5) यथतः यिक्त द्वारा उपनियम (4) के अधीन पाठ्यत आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसे आदेश कऽ तारीख से पंद्रह ठदन के भीतर कऽ जा सकेगी और दावा आयुक्त द्वारा ऐसी अपील पर विचार ठक्या जाएगा और उसका निपटारा ठक्या जाएगा।

5. मैट्रो रेल प्रशासन को सूचना – (1) दावा आयुक्त, मैट्रो रेल प्रशासन का सूचना, उसमध्य विनिर्दिष्ट कऽ जाने वाली सुनवाई कऽ तारीख को आवेदन के विरुद्ध कारण बताने के लिए जारी करेगा।

(2) उपिनयम (1) मथ िनंदभ्ण ट सूचना के साथ आवेदन कऽ एक ँत संल न कऽ जाएगी ।

(3) यऽद मैलो रेल ँशासन का ँतिनिध उपिनयम (1) मथ िनंदभ्ण ट सूचना मथ िविनंदभ्ण ट

तारीख को हाजिर नहल होता

है या हाजिर होता है और दावे को मंजूर कर लेता है तो दावा आयु त तुरंत आवेदन का िनपटारा करने के िलए

कायभ्णवाही करेगा ।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

3

(4) यऽद मैलो रेल ँशासन दावे का िवरोध करता है तो वह सुनवाई कऽ तारीख को या उसके पूर्वभ्ण

ऐसे दं तावेज कऽ

ँत के साथ, िजसका उसने अवल ब िलया है, उं तर फाइल कर सकता है और ऐसा उं तर तथा

दं तावेज कऽ ँतियां

अभलेख के भाग के ऽप मथ हगी ।

6. शपथपू का फाइल ऽकया जाना – (1) दावा आयु त आवेदक और मैलो रेल ँशासन को अपने दावे के, यऽद

कोई हो,

समथभ्णन मथ शपथपू ँदारा सां य देने का िनदेश दे सकेगा ।

(2) उप िनयम (1) मथ ऽकसी बात के होते ऽए भी, जहां दावा आयु त मामले के ऽचित िविनं चय के

िलए यह

आवं यक समझाता है, वहां वह ऽकसी अभसांी कऽ ँति-परींा का आदेश दे सकेगा ।

7. ँं यथँदारा उं तर और अऽ य दं तावेज का फाइल ऽकया जाना – (1) मैलो रेल ँशासन आवेदन

कऽ सुनवाई कऽ तारीख को या उसके पूर्वभ्ण आवेदन और दं तावेज कऽ ँतिय का उं तर फाइल कर

सकेगा ।

(2) उप िनयम (1) के अधीन फाइल ऽकए गए उं तर मथ मैलो रेल ँशासन आवेदन मथ किथत तः

य को िविनंदभ्ण ट ऽप

से ँ वीकार, इंकार या ँ पृ ट करेगा और अपने उं तर मथ ऐसे अितहर त तः य का कथन करेगा जो

आवं यक हो ।

8. आवेदन का संर्िीत त िनपटारा – दावा आयु त, आवेदन पर िवचार करने के पं चात् यद लेखब ं ङकए जाने वाले कारण से

उसक यह राय है ङक कायभावाही के िलए कोई पयाभात त कारण नहल है तो आवेदन को संर्िीप मः खादरज कर सकेगा ।

9. आवेदन क ङ एक पंीय सुनवाई और िनपटारा – (1) जहां आवेदन क सुनवाई के िलए िनयत तारीख को या ङकसी अ य

ऐसी तारीख को, िजसके िलए ऐसी सुनवाई ं थिगत क ङ जाए, आवेदक हािजर होता है और मैलो रेल ंशासन का ंितिनिध

हािजर नहल होता है तो दावा आयु त अपने िववेकाधिकार से सुनवाई को ं थिगत कर सकेगा या आवेदन क ङ एक पंीय सुनवाई िविनं चय कर सकेगा ।

(2) जहां मैलो रेल ंशासन के िव ङ ङकसी आवेदन क सुनवाई एक पंीय क ङ जा रही है वहां मैलो रेल ंशासन दावा आयु त को उसे अपां त करने के आदेश के िलए आवेदन कर सकेगा और यद आवेदक दावा आयु त का यह समाधान कर देता है ङक सूचना क ङ स यक ाप से तामील नहल ङई थी या उसके ंितिनिध को ङकसी पयाभात त कारण से हािजर होने से िनवादरत ङकया गया था तो दावा आयु ऐसे िनबंधन के आधार पर जो वह ठीक समझे एक पंीय सुनवाई को अपां त करने का आदेश पादरत कर सकेगा और आवेदन पर कायभावाही के िलए ङदन िनयत करेगा ।

10. ियितम मः आवेदन का िनपटारा – (1) आवेदन पर सुनवाई के िलए िविनं चत तारीख को या ङकसी अ य तारीख को,

िजसके ऐसी सुनवाई ं थिगत क ङ जाए, मैलो रेल ंशासन का ंितिनिध हािजर होता है और आवेदक हािजर नहल होता है, वहां

दावा आयु त अपने िववेकाधिकार से सुनवाई ं थिगत कर सकेगा या आवेदन क ङ ियितम मः सुनवाई कर सकेगा और िनपटारा कर सकेगा ।

(2) जहां आवेदन के िव ियितम मः ङकसी आवेदन क सुनवाई क ङ जाती है और उसका िनपटारा ङकया जाता है वहां आवेदक उसे अपां त करने के िलए कोई आदेश करने हेतु दावा आयु त को आवेदन कर सकेगा और यद आवेदक दावा आयु त का यह समाधान कर देता है ङक सूचना क ङ

स॒ यक ३प से तामील नहल॑ शई थी या उसे पया॒कत कारण॑ से हा॒जिर होने से रोका गया था तो दावा आयु॑ त ऐसे िनबंधन॑ के आधार पर जो वह ठीक समझे ३ यित॒म म॒ खा॒हरजी को अपा॑ त करने का आदेश कर सकेगा और आवेदन पर काय॒वाही करने के िलए ४दन िनयत करेगा ।

11. सा॒ि॒य॑ को समन करना और सा॑ य अभिलिखत करने क॒ प॒ित – (1) य॒द काय॒वा॒हिय॑ क॒

४कसी प॒कार ३॒ारा

सा॒ि॒य॑ को समन करने के िलए कोई आवेदन ॒तुत ४कया जाता है तो दावा आयु॑ त, ऐसे सा॒ि॒य॑ को हा॒जिर होने के िलए समन जारी करेगा जब तक ४क वह यह नहल॑ समझता है ४क उनक॒ हा॒जिरी मामले के उचित िविन॑ चय के िलए आव॑ यक नहल॑ है ।

(2) सा॒ि॒य॑ क॒ प॒री॒ा ॒रंभ होने पर दावा आयु॑ त, ॒य॒क सा॒ि॒य॑ के सा॑ य के सार का

सं॒ि॒त ॒ापन करेगा और

ऐसा ॒ापन अभिलेख का भाग होगा:

पर॒ तु य॒द दावा आयु॑ त ऐसा ॒ापन नहल॑ करता है तो वह ऐसा करने क॒ अपनी असमथ॒ता के कारण॑ को अभिलिखत करेगा और िलिखत म॒ ऐसा ॒ापन करवाएगा और उस पर ह॑ तारि॒ करेगा और ऐसा ॒ापन अभिलेख का भाग होगा ।

12. दावा आयु॑ त का िविन॑ चय – दावा आयु॑ त द॑ तावेज॑, शपथप॒ और अ॒ य सा॑ य, य॒द कोई हो, के

प॒शीलन के आधार

पर यथासंभव शी॒ता के साथ और ऐसी मौ॒खिक दलील॑ को, जो दी जाएं, सुनने के प॑ चात् ॒य॒क आवेदन का िविन॑ चय करेगा ।

13. आदेश का पा॒रत और ह॑ तारि॒रत ४कया जाना – (1) दावा आयु॑ त, आवेदक और मै॒ो रेल ॒शासन को

सुनने के प॑ चात् या तो तुरंत या उसके प॑ चात् यथासा॒ य शी॒ता से ऐसा आदेश पा॒रत करेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) दावा आयु॑ त का ॒य॒क आदेश िलिखत ३प म॒ होगा और उसके ३॒ारा ह॑ तारि॒रत होगा ।

(3) दावा आयु तः द्वारा ठकए गए ठकसी आदेश का िनः पादन िसिवल ा यायालय कऽ िडलऽ के ाप मः ठकया जाएगा और जहां तक हो सके िसिवल ाऽया संहिता, 1908 के उपबंध उसी ाऽकार लागू हऽगे जैसे वे िसिवल ा यायालय कऽ िडलऽ कऽ बाबत लागू होते हः ।

14. िविनः चय का पुनःवलोकन – (1) दावा आयु त के ठकसी आदेश से िथित कोई िपि, अभिलेख को देखने से ाकट होने वाली ठकसी ाऽ ढट या गलती के कारण या ठकसी अऽ य पयाऽाऽ त कारण से दावा आयु त को ठकसी ऐसे अंितम आदेश के पुनःवलोकन के िलए आवेदन कर सकेगा, जो अंतवलोकन आदेश नहऽ है ।

(2) जहां दावा आयु त को यह ातीत होता है, पुनःवलोकन का कोई पयाऽाऽ त आधार नहऽ है वहां वह आवेदन को नामंजूर कर देगा ।

(3) जहां दावा आयु त, का पुनःवलोकन के आवेदन मः ठकए गए आधार का समाधान हो जाता है और उसे ा याय के िहत मः समझता है तो वह पुनःवलोकन के िलए आवेदन को मंजूर करेगा:

परऽ तु पुनःवलोकन के िलए कोई आवेदन, मैऽो रेल ाऽशासन को पूवऽा सूचना ढदए िबना या उसे हाऽिर होने के िलए और उस आदेश के समथऽान मः, िजसके पुनःवलोकन के िलए आवेदन ठकया है, सुनवाई के िलए समथऽा बनाए िबना मंजूर नहऽ ठकया जाएगा ।

15. दावा आयु त द्वारा आदेश या िनदेश – इन िनयम कऽ ठकसी बात को, ऐसे आदेश पाऽरत करने या ऐसे िनदेश देने कऽ, जो दावा आयु त के आदेश को ाऽभावी करने के िलए या ाऽया के दुऽपयोग को रोकने के िलए या ा याय के उऽेऽ य को ाऽाऽ त करने के िलए आवऽ यक या समीचीन हो, उसकऽ शि को सीमित करने या अऽ यथा ाऽभावित करने वाली नहऽ समझा जाएगा ।

16. िवशेषी का संगम – (1) दावा आयु त, ाऽितकर के ठकसी दावे का अवधारण करने के ाऽयोजन के िलए एक या अधिक ऐसे

िवशेषी को, जो जांच से सुसंगत ठकसी िवषय कऽ कोई जानकारी रखते हः, सहबऽ कर सकेगा ।

(2) दावा आयुक्त, उपिनयम (1) के अधीन जांच से सहमत 3 पिछे को ऐसी फंडस या भंड के संदाय करने का आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे और उसका संदाय मैट्रो रेल शासन द्वारा ठकया जाएगा ।

17. ँतकर कऱ रकम – (1) मृं यु या ँतय कऱ बाबत संदेय ँतकर कऱ रकम दूसरी अनुसूची मऱ यथाविनंदऱ ट होगी ।

(2) ठकसी ऐसी ँत के िलए संदेय ँतकर कऱ रकम, जो दूसरी अनुसूची के भाग 2 या भाग 3 मऱ विनंदऱ ट नहऱ है ँंकंतु जो दावा आयुक्त कऱ राय मऱ ऐसी है जो ठकसी 3 पिछे को ठकसी ँकार का कायऱ करने कऱ उसकऱ संपूण ँमता से वंचित करती है, चार लाख ञपये होगी ।

(3) ठकसी ऐसी ँत कऱ बाबत संदेय ँतकर कऱ रकम (दूसरी अनुसूची मऱ विनंदऱ ट या उपिनयम (2) िनंदऱ ट ठकसी ऐसी ँत से िभऱ न) िजसका पहरणाम पीड़ा और वेदना है) ऐसी होगी जो दावा आयुक्त मामले कऱ अऱ य पहरिंथितय के अितर त, िचठकं सा सां य पर िवचार करने के पं चात् युिंयु त अवधाहरत करे :

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

5

परऱ तु यऱद एक ही दुघटना मऱ एक से अधिक ँत काहरत होती है तो ऐसी ँं येक ँत कऱ बाबत ँतकर का संदाय ठकया जाएगा ।

परऱ तु यह और ठक ऐसी सभी ँतय कऱ बाबत कुल ँतकर अं सी हजार ञपये से अधिक नहऱ होगा । (4) जहां ठकसी ऐसी ँत के िलए ँतकर संदं त ठकया गया है जो उस रकम से कम है िजसका ँतकर के ञप मऱ संदाय तब ठकया जाएगा जब ँतऱ त 3 पिछे कऱ मृं यु हो जाती है या तं पं चात् 3 पिछे कऱ ँत के कारण मृं यु हो जाती है, वहां मृं यु के िलए संदेय रकम या पहले संदं त कऱ गई रकम के बीच के अंतर के बराबर और ँत कर संदं त ठकया जाएगा ।

(5) ठकसी याऱी द्वारा उसके 3 पिछेगत सामान के ञप मऱ वहन ठकए जाने वाले माल कऱ हांि, िवनाश या ँंय के िलए ँतकर का संदाय उस सीमा तक ठकया जाएगा जो दावा आयुक्त मामले कऱ सभी पहरिंथितय को देखते ञए युिंयु त अवधाहरत करे ।

18. ँतकर कऱ सीमा – िनयम 17 मऱ ढकसी बात के होते ञए भी उस िनयम के अधीन संदेय कुल ँतकर ढकसी भी दशा मऱ ढकसी एक ३ यि कऱ बाबत पांच लाख ३पये से अधिक नहऱ होगा ।

पहली अनुसूची

ॐप

(िनयम 3 देखिए)

यािुय कऱ मृ० यु या ँत अथवा उनके ँतऱा अपने ३ यि तगत सामान के ३प मऱ वहन ढकए जा रहे

माल के िवनाश या नुकसान कऱ बाबत ँतकर के दावे के िलए मैऱो रेल (ॐचालन और अनुर्रण)

अधिनयम, 2002 (200 का 60) कऱ धारा 58 के अधीन आवेदन ।

भाग 1

मामले कऱ तारीख :

मामले का समय :

भाग 2

ऱम सं या	संल न ढकए गए दं तावेज का िववरण	प० ठ सं या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

दावा आयु त कायाऱालय के उपयोग के िलए

आवेदक के

हं तऱर फाइल करने कऱ तारीख

या

डाक ँतऱा ॐा त करने कऱ तारीख

रिजं ऱीकरण सं या

भाग – III

दावा आयु त के कायाऱालय मऱ

.....आवेद

क

और

मैऱो रेल ॐशासन के म॥ य

1. आवेदक कऽ विविशिः

टयां :
नाम और पता

2. दावे का मूँ य

3. (i) मामले के तः य :

(यहां कालानुक्रम मथ तः य□ का संिीत कथन करथ, ०२० येक पैरा मथ यथा संभव पृथक मु□े, तः य और अ३ य बांते अंतवर्ण ट कऽ जाएं ।)

(ii) (क) मांगी गई राहत कऽ ०२कृति

(ख) राहत का आधार

4. (i) विषय जो पहले ढकसी अ३ य ३ यायालय मथ फाइल न ढकए गए ह□ या लंबित न ह□

(बताएं ढक □ या आवेदक ने उन विषय□ के संबंध मथ िजनकऽ बाबत वतर्णमान आवेदन

ढकया गया है पूर्वर्ण मथ कोई दावा, ढरट याचिका या वाद फाइल ढकया है)

(ii) यढद आवेदक□ ने पूर्वर्ण मथ कोई, आवेदन, बाद ढरट याचिका फाइल कऽ है तो

उपदवर्णत करथ ढक वह ढकस ०२क्रम पर लंबित है और यढद िविनं चय ढकया जा चुका है तो

आदेश कऽ ०२माणित ०२ति संल□ न करथ ।

5. संल□ नक□ कऽ सूची

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

स०

यापन

म., ... (आवेदक का नाम)

पु२/पु२ी/प० नी

.....आय.....

निवासी.....यह स० यापित करता ढं/करती ढं ढक पैरा से

पैरा तक मथ दी गई अंतवर्ण तु□ पर मेरे सव□० तम ीान या मुझे दी गई

विधक सलाह के आधार पर सही होने का विव वास ढकया जाता है और म.ने ढकसी सारवान तः य को िछपाया नहल है ।

आवेदक के

हं तार

पूरा पता तारीख :

स्थान :

1Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vIk/kj.k

7

दूसरी अनुसूची
(नियम 17 देखिए)

मृ० यु और ितय के िलए

संदेय ितकर

भाग I

म सं या	ित क ित	ितकर क रकम (पये)
(1)	(2)	(3)
मृ० यु के िलए		5,00,000

भाग II

(1)	(2)	(3)
1.	दोन हाथ क ित अथवा उ चतर ं थान पर	4,00,000
2.	एक हाथ और एक पाद क ित के िलए	4,00,000
3.	टांग या उ से दोहरा ित छेदन या एक और टांग या	4,00,000
4.	दक शि त क ित इस ित तार तक क ित के िलए	4,00,000
5.	चेहरे क ित बशत गंभीर ितूपता के िलए	4,00,000
6.	पूण ित बिधरता के िलए	4,00,000

भाग III

(1)	(2)	(3)
1.	कंध संधि से ित छेदन के िलए	3,60,000
2.	कंध से नीचे से ित छेदन के िलए जब के ं थूणक अंसूकट के	3,20,000
3.	अंसूकट िसरे से आठ इंच से कूपणर के िसरे के नीचे से साढ़े चार इंच	2,80,000
4.	एक हाथ क ित या एक हाथ के अंगूठे क ित और चार अंगुलिय क ित	2,40,000
5.	अंगूठे क ित बिधरता के िलए	1,20,000

6.	अंगूठे कऽ और उसकऽ करभ-अिं थ कऽ हांिन के िलए	1,60,000
7.	एक हाथ कऽ चार अंगुलिय कऽ हांिन के िलए	2,00,000
8.	एक हाथ कऽ तीन अंगुलिय कऽ हांिन के िलए	1,20,000
9.	एक हाथ कऽ दो अंगुलिय कऽ हांिन के िलए	80,000
10.	अंगूठे कऽ अंतिम अंगुलि-अिं थ कऽ हांिन के िलए	80,000
11.	दोन पाद के िवल्छेदन के िलए िजसके पहरणामं वऽप अंतांग	3,60,000
12.	पदांगुलि - अिं थ संिध के िनकट से दोन पाद के िवल्छेदन के िलए	3,20,000
13.	पदांगुलि - अिं थ संिध से दोन पाद कऽ सभी अंगुलिय	1,60,000
14.	िनकटं थ अंतरांगुलि-अिं थ संिध के िनकट दोन पाद कऽ	1,20,000
15.	िनकटं थ अंतरांगुलि-अिं थ संिध से दूर दोन पाद कऽ सभी	80,000
16.	िनतंब पर िवल्छेदन के िलए	3,60,000
17.	िनतंब से नीचे िवल्छेदन के िलए जब ठक बृहत उऽ-अिं थ के	3,20,000
18.	िनतंब से नीचे िवल्छेदन के िलए जब ठक बृहत उऽ-अिं थ के	2,80,000
19.	मं योऽ के नीचे से घुटने के सादे तीन इंच तक नीचे के िवल्छेदन के	2,40,000
20.	घुटने के नीचे िवल्छेदन के िलए जब ठक थूणक 3/12 इंच से	2,00,000
21.	अधरांगघात के साथ मेऽदंड का अिं थभंग	2,00,000
22.	घुटने के नीचे िवल्छेदन जब ठक थूणक 5 इंच से अधिक हो	1,60,000
23.	एक नेऽ कऽ हांिन के िलए जब ठक कोई अऽ य उपंव न हो और	1,60,000
24.	एक पाद के िवल्छेदन के िलए िजसके पहरणामं वऽप अऽ तांग	1,20,000
25.	पदांगुलि अिं थ संिध के िनकट से एक पाद के िवल्छेदन के	1,20,000
26.	अधरांगघात के िबना मेऽदंड का अिं थभंग	1,20,000
27.	एक नेऽ कऽ टिं ट कऽ हांिन जब ठक नेऽगोलक मं उपंव या	1,20,000
28.	पदांगुलि अिं थ संिध से एक पाद कऽ सभी अंगुलिय कऽ	80,000
29.	िनतंब के जोड़ का अिं थभंग	80,000
30.	मं य अिं थ - दोन अंगो कऽ ऊवाऽहरथ, अंतजाऽघिका का	80,000
31.	मं य अिं थ - दोन अंगो कऽ ऽगिणडका, रेडियस का अिं थभंग	60,000
32.	पेडिस वस का अिं थभंग िजसमं जोड़ अंतवऽलित नहऽ है	40,000
33.	मं य अिं थ - एग अंग कऽ ऊवाऽिं थ, अंतजाऽघिका का अिं	40,000

34.	मु० य अि० थ – एक अंग क० ०० गिणडका, रेडियस और अलना का	32,000
-----	--	--------

[फा.सं. के-14011/18/2016-एमआरटीएस-II]

मुकु३ द कुमार िस३ हा, िवशेष काय० अधकारी (शहरी प०रवहन) और पदेन संयु० त सिचव

Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

9

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**NOTIFICATION**New Delhi, the 11th April, 2017

G.S.R. 353(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (2) of section 56 and clause (d) of sub-section (2) of section 100 read with sub-section (3) of section 53 and section 57 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) and in supersession of

- (i) The Delhi Metro Rail (Procedure to be followed by Claims Commissioner and Amount Compensation paid in case of Death and Injuries due to Accidents) Rules, 2007,
- (ii) The Bangalore Metro Rail (Procedure for Claims) Rules, 2001 and
- (iii) The Chennai Metro Rail (Procedure of Claims) Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, Central Government hereby makes the following rules, namely:-

- Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Metro Railways (Procedure of Claims) Rules, 2017.
- Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - “Act” means the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);
 - “Claims Commissioner” means the Claims Commissioner appointed under section 48 of the Act;
 - “applicant” means a person making an application to the Claims Commissioner under section 58 of the Act;
 - “Form” means a form appended to these rules;
 - “legal practitioner” shall have the same meaning as assigned to it under clause (i) of section 2 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);
 - “legal representative” means a person who in law represents the estate of the deceased;
 - “Schedule” means a Schedule appended to these rules;
 - “section” means a section of the Act.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them.
- Procedure for filing applications.-(1) The application for payment of compensation in respect of accidents involving death, or bodily injury to person or damage to any property arising out of the working of the Metro Railway to the Claims Commissioner shall be presented in the Form given in the First Schedule either by the applicant in person or by his duly authorised legal representative:

Provided that an application may also be sent by registered post to the Claims Commissioner.

 - The application referred to in sub-rule (1) shall be presented in duplicate.
 - Every application shall be typed legibly in double space on one side of paper of good quality.
- Scrutiny of application.- (1) The Claims Commissioner shall endorse on every application the date on which it is presented or received under rule 3 and sign the endorsement.
 - If the application on scrutiny is found to be in order, it shall be registered and given a serial number.

- (3) If the application on scrutiny is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Claims Commissioner may allow the applicant, to rectify the same in his presence and if the defect is not formal in nature, the Claims Commissioner may allow the applicant such time to rectify the defect as he may deem fit.
- (4) If the applicant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule (3), the Claims Commissioner may, by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the application and notify the applicant accordingly.
- (5) An appeal against the order passed under sub-rule (4) may be preferred by the persons aggrieved within fifteen days from the date of such order and such appeal shall be dealt with and disposed of by the Claims Commissioner.
5. Notice to Metro Railway Administration.-(1) The Claims Commissioner shall issue notice to Metro Railway Administration to show cause against the application on a date of hearing to be specified therein.
- (2) The notice referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a copy of the application.
- (3) If the representative of Metro Railway Administration does not appear on the date specified in the notice referred to in sub-rule (1) or appears and admits the claim, the Claims Commissioner shall forthwith proceed to dispose of the application.
- (4) If the Metro Railway Administration contests the claim, it may file a reply along with copy of such document on which it relies on or before the date of hearing and such reply and copies of the documents shall form part of the record.
6. Filing of an Affidavit.-(1) The Claims Commissioner may direct the applicant and the Metro Rail Administration to give evidence, if any, by affidavit.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where the Claims Commissioner considers it necessary for just decision of the case, he may order cross-examination of any deponent.
7. Filing of reply and other documents by the respondents.-(1) The Metro Railway Administration may file its reply to the application and copies of the documents on or before the date of hearing of the application.
- (2) In reply filed under sub-rule (1), the Metro Railway Administration shall specifically admit, deny or explain the facts stated in the application and state additional facts necessary in its reply.
8. Summary disposal of application.-The Claims Commissioner may, after considering the application, summarily dismiss the application, if for reasons to be recorded in writing, he is of the opinion that there are no sufficient grounds for proceeding therewith.
9. Ex-parte hearing and disposal of application.-(1) Where on the date fixed for hearing the application or any other date to which such hearing may be adjourned, the applicant appears and the representative of the Metro Railway Administration does not appear, the Claims Commissioner may, in his discretion, adjourn the hearing or hear and decide the application ex-parte.
- (2) Where an application has been heard ex-parte against the Metro Railway Administration, the Metro Railway Administration may apply to the Claims Commissioner for an order to set aside the ex parte hearing, and if the Metro Railway Administration satisfies the Claims Commissioner that the notice was not duly served or that its representative was prevented by any sufficient cause from appearing, the Claims Commissioner may make an order setting aside the ex-parte hearing upon such terms as he thinks fit and shall appoint the day for proceeding with the application.
10. Disposal of application in default.-(1) Where on the date fixed for hearing the application or any other date to which such hearing may be adjourned, the representative of the Metro Railway Administration appears and the applicant does not appear, the Claims Commissioner may, at his discretion, adjourn the hearing or hear and decide the application in default.

(2) Where an application has been heard and disposed in default against the applicant, the latter may apply to the Claims Commissioner to set aside the order in default and if the applicant satisfies

१Hkkx ११[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

11

the Claims Commissioner that the notice was not duly served or he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Claims Commissioner may make an order setting aside the order in default, upon such terms as he thinks fit and shall appoint the day for proceeding with the application.

11. Summoning of witnesses and method of recording evidence.-(1) If an application is presented by any party to the proceedings for summoning of witnesses, the Claims Commissioner shall issue summons for the appearance of such witnesses unless he considers that their appearance is not necessary for the just decision of the case.

(2) The Claims Commissioner shall make a brief memorandum of substance of the evidence of every witness as the examination of the witness proceeds and such memorandum shall form part of the record:

Provided that if the Claims Commissioner does not make such memorandum, he shall record the reasons for his inability to do so and shall cause such memorandum to be made in writing and shall sign the same, and such memorandum shall form part of the record.

12. Decision of the Claims Commissioner.- The Claims Commissioner shall decide every application as expeditiously as possible on perusal of documents, affidavits and other evidence, if any, and after hearing such oral argument as may be advanced.

13. Order to be passed and signed.-(1) The Claims Commissioner, after hearing the applicant and the Metro Railway Administration, shall pass an order as he thinks fit, either at once or as soon as thereafter as may be practicable.

(2) Every order of the Claims Commissioner shall be in writing and shall be signed by him.

(3) An order made by the Claims Commissioner shall be executed as a decree of civil court and the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, so far as may be, and shall apply as they apply in respect of decree of a civil court.

14. Review of decision.-(1) Any person considering himself aggrieved by any order of the Claims Commissioner, on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, may apply for review of a final order not being an interlocutory order, to the Claims Commissioner.

(2) Where it appears to the Claims Commissioner that there is no sufficient ground for a review, he shall reject the application.

(3) Where the Claims Commissioner is satisfied with the grounds made in the application and considers it in the interest of justice, he shall allow the application for review:

Provided that no such application for review shall be allowed without previous notice to the Metro Railway Administration or to enable it to appear and be heard in support of the order, a review of which is applied for.

15. Orders or directions by the Claims Commissioner.- Nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the power of the Claims Commissioner to pass such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to his orders or to prevent abuse of the process or to secure the ends of justice.

16. Association of experts.-(1) The Claims Commissioner may, for the purpose of determining any claim for compensation associate one or more experts possessing any knowledge of any matter relevant to the inquiry.

(2) The fees or allowances, if any, to be paid to the persons associated with the inquiry under sub-rule (1), shall be determined by the Claims Commissioner as he considers necessary, and the same shall be paid by the Metro Railway Administration.

17. Amount of compensation.- (1) The amount of compensation payable in respect of death or injuries shall be as specified in the Second Schedule.

(2) The amount of compensation payable for an injury not specified in Part II or Part III of the Second Schedule but which, in the opinion of the Claims Commissioner, is such as to deprive a person of all his capacity to do any kind of work, shall be four lakh rupees.

(3) The amount of compensation payable in respect of any injury (other than an injury specified in the Second Schedule or referred to in sub-rule (2) resulting in pain and suffering), shall be such as the Claims Commissioner may, after taking into consideration medical evidence, besides other circumstances of the case, determine to be reasonable:

Provided that if more than one injury is caused by the same accident, compensation shall be payable in respect of each such injury:

Provided further that the total compensation in respect of all such injuries shall not exceed eighty thousand rupees.

(4) Where compensation has been paid for any injury which is less than the amount which would have been payable as compensation if the injured person had died, and the person subsequently dies of the injury, a further compensation equal to difference between the amount payable for death and amount already paid, shall become payable.

(5) The compensation for loss, destruction or deterioration of goods being carried by the passenger as his personal baggage, shall be paid to such an extent as the Claims Commissioner may, after taking into consideration all circumstances of the case, determine to be reasonable.

18. Limit of compensation.- Notwithstanding anything contained in rule 17, the total compensation payable under that rule shall in no case exceed five lakh rupees in respect of any one person.

The First Schedule

FORM

(See rule 3)

Application under section 58 of the Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002) for claims for compensation in respect of death or injury of passengers or destruction or damage to the goods being carried by them as their personal baggage.

PA

RT I Date of the Case:

Time of the Case:

PA

RT II

Sl. No.	Description of documents attached	Page No.
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Signature of the

Applicant For use in Claims Commissioner's Office

Date of filing

Or

Date of Receipt by post

Registration No.

The Second Schedule

(see rule 17)

COMPENSATION PAYABLE FOR DEATH AND INJURIES

PART I

Sl.No.	Nature of Injury	Amount of Compensation (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	For death	5,00,000

PART II

Sl.No.	Nature of Injury	Amount of Compensation (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	For loss of both hands or amputation at higher sites	4,00,000
2.	For loss of hand and a foot	4,00,000
3.	For double amputation through leg or thigh or amputation through leg or thigh on one side and loss of other foot	4,00,000
4.	For loss of sight to such an extent as to render the claimant unable to perform any work for which eye sight is essential	4,00,000
5.	For every severe facial disfigurement	4,00,000
6.	For absolute deafness	4,00,000

PART III

Sl.No.	Nature of Injury	Amount of Compensation (in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	For amputation through shoulder joint	3,60,000
2.	For amputation below shoulder with stump less than 8" from tip of acromion	3,20,000
3.	For amputation from 8" from tip of acromion to less than 4 ½ " below olecranon	2,80,000
4.	For loss of a hand or the thumb and four fingers of one hand of amputation from 4 ½ " below space tip of olecranon	2,40,000
5.	For loss of thumb	1,20,000
6.	For loss of thumb and its metacarpal bone	1,60,000
7.	For loss of four fingers of one hand	2,00,000
8.	For loss of three finger of one hand	1,20,000
9.	For loss of two fingers of one hand	80,000
10.	For loss of terminal phalanx of thumb	80,000
11.	For amputation of both feet resulting in end-bearing stumps	3,60,000
12.	For amputation of both feet proximal to the metatarsophalangeal joint	3,20,000
13.	For loss of all toes of both feet through the metatarsophalangeal joint	1,60,000
14.	For loss of all toes of both feet proximal to the proximal interphalangeal joint	1,20,000
15.	For loss of toes of both feet distal to the proximal interphalangeal joint	80,000

MUKUND KUMAR SINHA, Officer on Special Duty (UT) and Ex-officio Jt. Secy.

અિધસૂચના

નર્મદા, લી, 11 અઝૈલ, 2017

सा.का.नि. 354(अ).—के३ ँीय सरकार, मे॒ढो रेल (॒रचालन और अन॒र्र॒ण) अधिनयम, 2002 (2002

का 60) कऽ

धारा 56 क॥ उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा द० त शि० य० का योग करते हैं,

(i) ४८५ ली मे॒ट्रो रेल (दावा आयु॒ त के कदाचार अथवा असम॒र्थता क॒ अ॒ ३ व॒े॒ष॒ण ॒क॒या) िनयम,
2017,

(ii) बंगलौर में रेल (दावा आयु) के कदाचार अथवा असमर्थता का अंश वेंषण ाया नियम, 2011 और

उन बातों के सिवाय अध्यास करते हुए, जिस हथ ऐसे अध्यास से पूर्व कहा गया है या करने का लोप कहा गया है,

निर्लिखित नियम बनाती है, अथाभात्:-

अ३ वेषण ँऽऽया) िनयम, 2017 है ।

(2) ये राजपू मः काशन कः तारीख से वः त हःगे ।

2. पहरभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भों से अथवा यथा अपेक्षित न हो;

(क) “अधिनयम” से मेट्रो रेल (चालन और अनुरोध) अधिनयम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है ;

(ख) “धारा” से इस अधिनियम कऽ धारा अभिप्रेत है ;

(ग) “३ यायाधीश” से नियम ३ के उपनियम (३) के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त किया गया उच्चतम न्यायालय

का 3 यायाधीश अभिज्ञेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में संज्ञा त्वात् ठक् एगए ह. ठक् तु इसमें पड़भाषित नहए ह. और जो इस अधिनियम में पड़भाषित ह., उनमें वही अर्थ होंगे जो उनके इस अधिनियम में ह. ।

3. पहरवाद कऽ अऽ वेषण संबंधी सिमित (1) केऽ ँीय सरकार, दावा आयु त के संबंध मऽ कदाचार या उसके संबंध मऽ पद

के क्र० य□ का पालन करने मः असमथता के ठक३ ही िनिशिकायत कऽ ुंारंभिक संवींा करेगी ।

त आरोप का अभिकथन करने वाली शिकायत को त हो जाने पर, ऐसी

(2) यद्द, कर्णीय सरकार ँरंभक संवींा ढकए जाने पर अभकथन का अ३ वेषण करना आवं
यक समझती है तो वह

उस समथनकारी सामळी, जो उपलब्ध हो, के साथ िशकायत, को िशकायत मः ढकए गए अभकथन
के आरोप का

अ३ वेषण करने के िलए िन निलिखत ३ यिंय से िमलकर बनी सिमित के समं रखेगी, अथात् :-

- i. सिचव (सम३ वय और लोक िशकायत) मं्रमंडल सिचवालय - अ३ यं
- ii. सिचव, शहरी िवकास मं्रालय - सदं य
- iii. सिचव, िविध कायन िवभाग, िविध और ३ याय मं्रालय - सदं य

(3) सिमित अ३ वेषण कः अपनी ही ँडया और पंित तैयार करेगी िजसमः िशकायतकता

के सां य का

अभलेखन और उस जांच से सुसंगत सामळी का संलहण भी सिमिलत हो सकेगा, जो इन िनयम के
अधीन भारत के

उच्चतम ३ यायालय के ३ यायाधीश ँरारा कः जाए ।

(4) सिमित ऐसी अविध के भीतर, जो इस िनिमं त के३ ँीय सरकार ँरारा िविनंद कः

जाए, यथासंभव शील

के३ ँीय सरकार को अपने िन कषन ँं तुत करेगी ।

4. ३ यायाधीश ँरारा जांच ढकया जाना-(1) यद्द, के३ ँीय सरकार, कः यह राय है ढक दावा आयु त
के कदाचार या उसकः

असमथनता के ढकसी लांछन कः स० यता कः जांच करने के िलए युंयु त आधार ह. तो वह भारत के मुं य

३ यायमूतन को जांच

करने के िलए उच्चतम ३ यायालय का एक ३ यायाधीश नामित करने के िलए यह अनुरोध करेगा ढक वह एक
िनदश करे ।

(2) कर्णीय सरकार आदेश ँरारा जांच करने के ँयोजन के िलए भारत के मुं य ३

यायमूतन िजसे इसमः इसके

पं चात् ३ यायाधीश कहा गया है, ~~इस~~ नानिमत उक्त चतम ३ यायालय का ३ यायाधीश नियुक्त करेगा ।

(3) उप-नियम (2) के अधीन ३ यायाधीश कऽ नियुक्ति त कऽ सूचना दावा आयुक्त को दी जाएगी ।

(4) के३ ंतीय सरकार निम्न लिखित कऽ एक ंति ३ यायाधीश को अर्पित करेगा :-

(क) संबन्धित दावा आयुक्त के विरुद्ध आरोप कऽ मदत तथा लांछन का कथन

(ख) साक्षिण्य का कथन, यद् कोई हो; और

(ग) जांच से सुसंगत तानि वक दं तावेज

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

17

(5) ३ यायाधीश ऐसे समय या अतिरिक्त त समय के भीतर, जो के३ ंतीय सरकार ~~इस~~ निम्न विनिर्देशों त ढकया

जाए, जांच को पूरा करेगा ।

(6) संबन्धित दावा आयुक्त को ऐसे समय के भीतर, जो ३ यायाधीश ~~इस~~ निम्न त विनिर्देशों त ढकया जाए ंतिरिक्ता के लिखित कथन को ंतं तुत करने का युक्ति तयुक्त त अवसर ढदया जाएगा।

(7) जहां यह अभिकथन ढकया जाता है ढक दावा आयुक्त त ढकसी शारीरक या मानिसक असमर्थता के कारण अपने पद के कतर्था य का द्वातापूर्वक निवहान करने मः असमर्थ है और अभिकथन का ंत या यान ढकया जाता है तो वहां ३ यायाधीश ऐसे िचक सा बोड ~~इस~~ जो के३ ंतीय सरकार ~~इस~~ ंयोजन के लिए नियुक्त त ढकया

जाए, दावा आयुक्त त कऽ िचक सीय परीक्षा कराने कऽ यवं था कर सकेगा और

संबन्धित दावा आयुक्त त ३ यायाधीश ~~इस~~ निम्न विनिर्देशों त समय के भीतर

िचक सीय परीक्षा के लिए ं वयं पेश होगा ।

(8) िचक सा बोड दावा आयुक्त त कऽ ऐसी िचक सीय परीक्षा करेगा जो आवं

यक समझी जाए और उसमः यह कथन करते श् ३ यायाधीश को एक ढरपोट ंतं तुत करेगा

४क □ या असमर्थता इस प्रकार कऽ है जो दावा आयु □ त को पद पर बने रहने के लिए अयो □ य बनाती ह. ।

(9) यह दावा आयु □ त ऐसी चिकित्सकीय परीक्षा, जो चिकित्सक सा बोर्ड द्वारा आवँयक समझी जाए,

कराने के लिए इंकार करता है, तो बोर्ड, 3 यायाधीश को एक रपोर्ट उसमथ ऐसी परीक्षा का कथन करते थे उन्हें तुत करेगा जिससे कराने से दावा आयु □ त ने इंकार कर दिया है और 3 यायाधीश ऐसी रपोर्ट के अनुसार त हो जाने पर यह उपधारणा कर सकेगा ४क दावा आयु □ त ऐसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता से ग्रस्त ह. जिसका शिकायत मथ अभिकथन ठकया गया है ।

(10) 3 यायाधीश, दावा आयु □ त के लिखित कथन और चिकित्सक सा रपोर्ट, यह कोई हो, पर विचार करने के पछात उपनियम(4) के खंड (क) से निर्दिष्ट आरोप मथ संशोधन कर सकेगा और ऐसे मामल मथ, दावा आयु □ त को चितरीक्षा का एक नया लिखित कथन उन्हें तुत करने का युक्ति तयु □ त अवसर दिया जाएगा ।

(11) के३ रीय सरकार, दावा आयु □ त के वि३ मामला च तुत करने के लिए इस सरकार के ठकसी अधिकारी या ठकसी अधिवक्ता को नियुक्त करेगा ।

(12) जहां के३ रीय सरकार ने 3 यायाधीश के समीप अपने मामले को उन्हें तुत करने के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त ठकया है वहां, दावा आयु □ त को उसके द्वारा चुने गए अधिवक्ता द्वारा अपने मामले को उन्हें तुत करने के लिए भी अनुज्ञात ठकया जाएगा ।

5. जांच रपोर्ट : अ३ वेषण के समाप्त हो जाने के पछात 3 यायाधीश के३ रीय सरकार को अपनी रपोर्ट उन्हें तुत करेगा जिसमथ संपूर्ण मामले पर ऐसे संज्ञेण सहित, जो वह ठीक समझथ, पृथक रूप से आरोप कऽ हर एक मद पर उसके निरूपण और कारण का कथन होगा।

6. रिसिवल चर्चा संहिता के उपबंध से आबद्ध न होना : नियम 4 के अधीन जांच करते समय, 3 यायाधीश रिसिवल

०२६८ या संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिक्थित ०२६८ या से आबंकर नहल होगा ६क३ तु नैसङ्गङ्गाक

३ याय के िसंांतं द्वारा

मागङ्गादङ्गशङ्गात होगा और अपनी ं वंय कऽ ०२६८ या, िजसके अंतगङ्गात उसकऽ जांच के ं थान और समय भी है, को िविनयिमत करने कऽ शिं त होगी ।

7. दावा आयुं त का िनलंबन : िनयम 4 मऽ ६कसी बात के होते श्ऐ और उं त िनयम के अनुसार कऽ जा रही ६कसी कारङ्गावाई पर ०२ितकूल ०२भाव डाले िबना, के३ ंीय सरकार आरोपं कऽ गंभीरता को ण यान मऽ रखते श्ऐ उस दावा आयुं त को िनलंबित कर सकेगी िजसके िवऽ िशकायत का अ३ वेषण ६कया जा रहा है या जांच कऽ जा रही है ।

8. जीवन िनवाङ्गाह भ० ता : िनलंबनाधीन दावा आयुं त को जीवन िनवाङ्गाह भ० ते का संदाय समतुऽ य वेतन ०२ां त करने वाले भारत सरकार के ६कसी अधिकारी को त० समय लागू िनयमं और आदेशं के अनुसार िविनयिमत ६कए जाएंगे ।

[फा. सं. के-14011/18/2016-एमआरटीएस-II]

मुकु३ द कुमार िस३ हा, िवशेष कायङ्गा अधिकारी (शहरी पङ्गरवहन) और पदेन संयुं त सिचव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2017

G.S.R. 354(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 56 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), and in supersession of

(i) the Delhi Metro Rail (Procedure for Investigation of Misbehaviour or incapacity of Claims Commissioner) Rules, 2007,

(ii) the Bangalore Metro Rail (Procedure for investigation of Misbehaviour or Incapacity of Claims Commissioner) Rules, 2011 and

(iii) The Chennai Metro Rail (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Claims Commissioner) Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Metro Railways (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of the Claims Commissioner) Rules, 2017.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Act” means the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);

(b) “section” means a section of the Act;

(c) “Judge” means the Judge of the Supreme Court appointed for conducting the inquiry under sub-rule (3) of rule 3.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings, respectively assigned to them in the Act.

3. Committee for investigation of complaints.- (1) The Central Government, on receipt of a complaint alleging any definite charges of misbehavior in respect of or incapacity to perform the functions of the office in respect of the Claims Commissioner, shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If, on preliminary scrutiny, the Central Government, considers it necessary to investigate into the allegation, it shall place the complaint together with supporting material, as may be available, before a Committee consisting of the following persons to investigate the charges of allegations made in the complaint, namely:-

- (i) Secretary (Co-ordination and Public Grievances) Cabinet Secretariat —
Chairman.
- (ii) Secretary, Ministry of Urban Development —Member
- (iii) Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice —Member

(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation which may include recording of evidence of the complainant and collection of material relevant to the inquiry which may be conducted by a Judge of the Supreme Court of India under these rules.

(4) The Committee shall submit its findings to the Central Government as early as possible within a period as may be specified by the Central Government in this behalf.

4. Judge to conduct inquiry.-(1) If the Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehaviour or incapacity of Claims Commissioner, it shall make reference to the Chief Justice of India requesting him to nominate a Judge of the Supreme Court to conduct the inquiry.

(2) The Central Government shall, by order, appoint the Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India (hereinafter referred to as Judge) for the purpose of conducting the inquiry.

(3) Notice of appointment of a Judge under sub-rule (2) shall be given to the Claims Commissioner.

(4) The Central Government shall forward to the Judge a copy of-

¹Hkkx Hk[k.M 3(i)^o

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

19

(a) the articles of charges against the Claims Commissioner concerned and the statement of

imputation;

(b) the statement of witnesses, if any; and

(c) material documents relevant to the inquiry.

(5) The Judge shall complete the inquiry within such time or further time as may be specified by the Central Government.

(6) The Claims Commissioner concerned shall be given a reasonable opportunity of presenting a written statement of defence within such time as may be specified in this behalf by the Judge.

(7) Where it is alleged that the Claims Commissioner is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the judge may arrange for the medical examination of the Claims Commissioner by such Medical Board as may be appointed for the purpose by the Central Government and the Claims Commissioner concerned shall submit himself to such Medical Examination within the time specified in this behalf by the Judge.

(8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Claims Commissioner as may be considered necessary and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Claims Commissioner unfit to continue in office.

(9) If the Claims Commissioner refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board, the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Claims Commissioner has refused to undergo and the Judge may on receipt of such report presume that the Claims Commissioner suffers from such physical or mental incapacity as is alleged in the complaint.

(10) The Judge may, after considering the written statement of the Claims Commissioner and the Medical Report, if any, amend the charges referred to in clause (a) of sub-rule (4) and in such a case the Claims Commissioner shall be given a reasonable opportunity of presenting a fresh written statement of defence.

(11) The Central Government shall appoint an officer of that Government or any Advocate to present the case against the Claims Commissioner.

(12) Where the Central Government has appointed an Advocate to present its case before the Judge, the Claims Commissioner shall also be allowed to present his case by an Advocate chosen by him.

5. Inquiry report.- After the conclusion of the investigation, the Judge shall submit his report to the Central Government stating therein his findings and the reasons thereof on each of the articles of charge separately with such observations on the whole case as he thinks fit.

6. Provisions of Civil Procedure Code not binding.- The Judge, while conducting an inquiry under rule 4, shall not be bound by the procedure laid down by the Civil Procedure Code, 1908 (5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his inquiry.

7. Suspension of Claims Commissioner.- Notwithstanding anything contained in rule 4 and without prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the Central Government, keeping in view the gravity of charges, may suspend the Claims Commissioner against whom a complaint is under investigation or inquiry.

8. Subsistence allowance.- The payment of subsistence allowance to Claims Commissioner under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to an officer of the Government of India drawing an equivalent pay.

[F. No. K-14011/18/2016-MRTS-II]

MUKUND KUMAR SINHA, Officer on Special Duty (UT) and Ex-Officio Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.20 13:30:43 +05'30'